उत्तर प्रदेश शासन
धर्मार्थ कार्य विभाग
संख्या-307/57-2019-3(10)/2015
लखनऊ दिनांक:06 जून, 2019

विज्ञप्ति/प्रकीर्ण

विषय- लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 राज्य के मूल निवासी जो लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आते हैं, को विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-26/2016/1005/2016/57-2016-3(10)/2015, दिनांक-20 अक्टूबर 2015,को संशोधित करते हुये निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उ0 प्र0 के मूल निवासियों जो लेह लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन की तीर्थ यात्रा पूर्ण कर वापस आते हैं तथा जो वर्तमान में भी प्रदेश में निवास कर रहे हों, को उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रति व्यक्ति को **रू0 10 हजार के स्थान पर रू0 20,000/ (रूपया बीस हजार मात्र)** की धनराशि, अनुदान स्वरूप प्रदान की जायेगी। अनुदान हेतु आवेदक द्वारा पहचान पत्र, सक्षम स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं यात्रा पूरी करने का प्रमाण-पत्र सहित **वेबसाईट www.updharmarthkarya.in** पर उपलब्द्ध आवेदन पत्र पर, आनलाईन आवेदन, यात्रा समाप्त होने के पश्चात् 90 दिवस के भीतर (तीन माह के अन्दर) किया जाना अनिवार्य होगा। प्राप्त आइलाईन आवेदन पत्रों पर ही शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त अनुदान दिये जाने पर विचार किया जायेगा।

3- अनुदान वर्तमान वित्तीय वर्ष में लागू प्रक्रिया के अनुसार यात्रा में सम्मिलित होने वाले तथा यात्रा पूर्ण करने वाले यात्रियों को ही देय होगी।

4- अनुदान की धनराशि यात्रा के पूर्ण होने के उपरान्त प्रदान की जायेगी।

5- जीवन काल में किसी यात्री को एक ही बार अनुदान दिया जायेगा।

6- यात्रियों को दी जाने वाली सहायता राशि की सम्पूर्ण धनराशि महानिदेशक पर्यटन के निर्वतन पर रखी जायेगी। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर पात्र यात्रियों की सूची महानिदेशक पर्यटन को उपलब्ध करायी जायेगी, तत्पश्चात पात्र आवेदकों के बैंक खाते में महानिदेशक पर्यटन द्वारा धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।

3(10)2015 -95

Scanned by CamScanner

7- किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में यथास्थिति पत्नी/पति या आश्रित के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।

8- आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र, **वेबसाईट** **www.updharmarthkarya.in** पर है।

9- उक्त पर होने वाला व्यय आय व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखा शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए दान-06-प्रदेश के सिन्धी समाज के तीर्थ यात्रियों के लिए अनुदान-42-अन्य व्यय की मद में वहन किया जाएगा।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 307 /57-2019-3(10)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0 प्र0 शासन।

2- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।

3- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0 प्र0 इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि सरकारी गजट के साधारण अंक में तत्काल प्रकाशित कराते हुए विज्ञप्ति/प्रकीर्ण की 500 प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4- महानिदेशक पर्यटन उ0 प्र0 लखनऊ।

5- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 सिन्धी अकादमी लखनऊ-21 बी0सी0 गोमती रेजीडेन्सी, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

6- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी इलाहाबाद, उ0 प्र0।

7- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0।

8- वरिष्ठ कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।

9- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0 प्र0।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5, उ0 प्र0 शासन।

11- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

Scanned by CamScanner